



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164959

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 45386 वर्ष 2025

नफीस और 9 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : पद्माकर पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सुधीर कुमार वर्मा

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण कर लिया है तथा उनके मध्य समझौता हो गया है, जिसे वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। इससे पूर्व, इस न्यायालय ने पक्षकारों को समझौते के सत्यापन हेतु अवर न्यायालय के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। उक्त आदेश द्वारा अवर न्यायालय को सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित करने का भी निर्देश दिया गया था।

3. रिपोर्ट के अनुसार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिनकी पहचान उनके-अपने अधिवक्ताओं द्वारा की गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2026 को समझौते का सत्यापन किया गया।
4. चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाना चाहता है, अतः इसे लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
5. राज्य के विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों पर विवाद नहीं करते हैं।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य , (2019) 5 एस सी सी 688** में समझौते/निपटारे के आधार पर कार्यवाही को निरस्त करने के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

“15. इस बिंदु पर विधि तथा इस न्यायालय के उपर्युक्त संदर्भित अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि:

- i) संहिता की धारा 320 के अंतर्गत गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन मामलों में किया जा सकता है, जिनका स्वरूप मुख्यतः और प्रबल रूप से सिविल प्रकृति का हो, विशेष रूप से वे मामले जो वाणिज्यिक लेन-देन अथवा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वैवाहिक संबंध अथवा पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हुए हों और जब पक्षकारों ने आपस में अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया हो;

ii) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए, जिनमें जघन्य एवं गंभीर अपराध, जिनमें मानसिक विकृति का तत्व हो, अथवा हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध सम्मिलित हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और उनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है;

iii) इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा अपने पद पर कार्य करते हुए किए गए अपराधों को पीड़ित और अपराधी के मध्य हुए समझौते के आधार पर मात्र निरस्त नहीं किया जाना चाहिए;

iv) धारा 307 भा.दं.सं. तथा शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध जघन्य एवं गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए इन्हें केवल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए। अतः धारा 307 भा.दं.सं. और/या शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत ऐसे अपराध, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, पक्षकारों द्वारा अपने संपूर्ण विवाद का आपस में समाधान कर लेने के आधार पर संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त नहीं किए जा सकते हैं। तथापि, उच्च न्यायालय केवल इस कारण अपने निर्णय पर आधारित नहीं करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा 307 भा.दं.सं. का उल्लेख है अथवा इस प्रावधान के अंतर्गत आरोप निर्धारित किया गया है। उच्च



न्यायालय के लिए यह जांचना खुला होगा कि धारा 307 भा.दं.सं. को केवल औपचारिक रूप से जोड़ा गया है अथवा अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किया है, जो सिद्ध होने पर धारा 307 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए जाने का आधार बनेगा। इस प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय चोट की प्रकृति, यह कि ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/संवेदनशील अंगों पर पहुंचाई गई है या नहीं, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति आदि को ध्यान में रख सकता है। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कवायद केवल जांच के पश्चात् साक्ष्य एकत्र किए जाने और आरोप-पत्र दाखिल किए जाने/आरोप निर्धारित किए जाने और/या विचारण के दौरान ही की जा सकती है। जब मामला अभी जांचाधीन हो, तब ऐसी कवायद अनुमत नहीं है। अतः इस न्यायालय के नरेंद्र सिंह (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय के अनुच्छेद 29.6 और 29.7 में निकाले गए अंतिम निष्कर्षों को सामंजस्यपूर्ण रूप से तथा समग्र रूप में पढ़ा जाना चाहिए और उपर्युक्त परिस्थितियों में उसी प्रकार पढ़ा जाना चाहिए;

v) संहिता की धारा 482 के अंतर्गत ऐसी गैर-शमनीय अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग करते समय, जो निजी प्रकृति के हों और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव न हो, तथा जिसका आधार पीड़ित और अपराधी के मध्य समझौता/निस्तारण हो, उच्च न्यायालय को अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के आचरण, अर्थात् क्या अभियुक्त फरार था और वह क्यों फरार था, अभियुक्त ने शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने की व्यवस्था किस प्रकार की आदि पर विचार करना आवश्यक है।”



7. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण कर लिया है और पक्षकारों के मध्य हुए समझौते का सत्यापन विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही किया जा चुका है, अतः वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।
8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है तथा वाद संख्या 11650 सन् 2020 (राज्य बनाम नफीस एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 1126 सन् 2019, धारा 147, 323, 504 भा.दं.सं., थाना नौबस्ता, जनपद कानपुर नगर से उत्पन्न हुआ है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

06 अगस्त, 2026

पी.के.एस.